न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी अंशुल सिंह आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर – 171/2022 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1– गीता पत्नी राजु जाट निवासी मेघरास तहसील बनेड़ा
2– जगदीश, पन्ना, पार्वती, रतन, सांवरा, सीता पिता राजु जाट निवासी मेघरास तहसील बनेड़ा

–प्रार्थीगण

बनाम

1– टीकम चन्द पिता शिवलाल सुथार निवासी निवासी मेघरास तहसील बनेड़ा
2– देवकरण पिता लादु सुथार निवासी मेघरास तहसील बनेड़ा
3– लाली पत्नी प्रहलाद तेली निवासी मेघरास तहसील बनेड़ा
4– न्याली पत्नी रूगनाथ तेली निवासी मेघरास तहसील बनेड़ा
5– पप्पु पिता छगना लुहार निवासी मेघरास तहसील बनेड़ा
6– महावीर पिता राजु निवासी मेघरास तहसील बनेड़ा
7– जदीश पिता मुला तेली निवासी मेघरास तहसील बनेड़ा
8–9 उगमा, लादु पिता लक्ष्मण तेली निवासी मेघरास तहसील बनेड़ा
10– भुर बानु पत्नी इस्लाम खा कायमखानी निवासी मेघरास तहसील बनेड़ा
11– गंगाराम पिता प्रताप गाडरी निवासी मेघरास तहसील बनेड़ा
12– देवा पिता मोड़ा बलाई निवासी मेघरास तहसील बनेड़ा
13– घीसु पिता लाला गाडरी निवासी मेघरास तहसील बनेड़ा
14– राजु पिता सुखदेव तेली निवासी मेघरास तहसील बनेड़ा
15– दुदा पिता रामपाल तेली निवासी मेघरास तहसील बनेड़ा
16– लाड देवी पत्नी जमना सेन निवासी मेघरास तहसील बनेड़ा
17– शेकर पिता बंशी सेन निवासी मेघरास तहसील बनेड़ा
18– ईश्वर पिता धन्न सेन निवासी मेघरास तहसील बनेड़ा
19– जमना पिता छोटु सेन निवासी मेघरास तहसील बनेड़ा
20– तहसीलदार बनेड़ा
21– राजस्थान क्षैत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा रायला तहसील बनेड़ा

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक :– 07/09/2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.10.11 15:07:16 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी की और से प्रार्थना प[illegible] राज०भू०राज० अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम [illegible] तहसील **बनेड़ा** जिला **भीलवाड़ा** में स्थित आराजी नम्बर **1226, 1228, 1229, 351, 352,** [illegible] **489, 817, 818, 822, 825, 851, 859, 883, 884, 885,,** कुल किता 16 रकबा [illegible]**868 हे0** के खातेदार [illegible]कार है। [illegible] वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पडौ[illegible] है। प्रार्थीगण एवं विप[illegible] के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता

रहता है। इसलिए **प्रार्थी** अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। **जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 ग्राम मेघरास तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा** में स्थित **आराजी नम्बर 1226, 1228, 1229, 351, 352, 376, 489, 817, 818, 822, 825, 851, 859, 883, 884, 885,, कुल किता 16 रकबा 4.1858 है0** भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज होकर है। **प्रार्थी** अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर **प्रार्थी** का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः **प्रार्थी** का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

// आदेश //

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा–111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर **ग्राम मेघरास तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 1226, 1228, 1229, 351, 352, 376, 489, 817, 818, 822, 825, 851, 859, 883, 884, 885,, कुल किता 16 रकबा 4.1858 है0** भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू0अ0निरीक्षक **उपरेड़ा** को **1700/– रूपये** कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर उभयपक्षकरान को विधिवत नोटिस तामिल करा उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु पाबंद करावे। पत्थरगढी से पूर्व उभयपक्षकारान की लिखित सहमति प्राप्त ली जावे। लिखित सहमति पश्चात उनकी उपस्थिति में ही पत्थरगढ़ी की कार्यवाही सम्पन्न जावें अन्यथा नहीं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रेकार्ड में फेरबदल नहीं किया जावे। यदि प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एंव स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नही किया जावे। अतः भू0अ0निरीक्षक **उपरेड़ा** जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार बनेड़ा को पालना हेतु लिखा जावे। आदेश की पालना अपील अवधि समाप्ति पश्चात ही की [illegible] अपील अवधि के भीतर आदेश की पालना नहीं की जावे।

निर्णय आज दिनांक 07/09/2022 को [illegible] जाकर कोर्ट मुख्यालय पर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.10.11 15:07:16 IST
Reason: SelfAttested

(अंशुल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :–

तहसीलदार बनेड़ा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान को नोटिस तामिल करा उनकी मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.10.11 15:07:16 IST
Reason: SelfAttested